संख्याः —/18(1)/2014–03(07)/2011

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 19 मार्च,2014

विषयः– राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत लेखपाल संवर्ग के वेतनमान पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई के रूप में क्रमशः पटवारी एवं लेखपाल संवर्ग कार्यरत हैं। पटवारी संवर्ग, राजस्व/भू–लेख कार्यों के साथ–साथ कानून व्यवस्था (पुलिस) का कार्य भी सम्पादित करते हैं। इस दायित्व के कारण शासनादेश दिनांक 2–4–2011 द्वारा पटवारी संवर्ग के अंतर्गत पर्वतीय पटवारी एवं कानूनगों को उनकी शैक्षिक अर्हता बढ़ाते हुए नियमित पुलिस के समकक्ष वेतनमान पुनरीक्षित किये गये। उक्त क्रम में लेखपाल संवर्ग द्वारा भी कतिपय आधारों पर अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण का अनुरोध किया जाता रहा है। मैदानी क्षेत्रों में यद्यपि लेखपाल संवर्ग द्वारा पुलिस का कार्य नहीं किया जाता है तथापि इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रफल, व्यवसायिक गतिविधियां तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण इन पर कार्य का बोझ अधिक होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लेखपाल संवर्ग के पदनाम, शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमानों को प्रस्तर–2 के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त क्रम में लेखपाल संवर्ग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक (मैदानी) एवं राजस्व उप निरीक्षक, मैदानी (लेखपाल), के पदनाम, शैक्षिक अर्हता एवं वेतनमान को निम्न तालिका के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाता है। लेखपाल संवर्ग को उच्चीकृत वेतन दिये जाने के साथ शासन की यह भी अपेक्षा है कि लेखपाल संवर्ग द्वारा अपने कार्यों एवं दायित्वों को और अधिक गम्भीरता, कुशलता, दक्षता एवं सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचार उपागमों के साथ सम्यक ढंग से निर्वहन किया जायेगा।

वर्तमान व्यवस्था				पुनरीक्षित व्यवस्था		
क्रम सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	वर्तमान वेतनमान (रू0में)	पदनाम	संशोधित वेतनमान (रू0 में)	शैक्षिक अर्हता
1.	राजस्व निरीक्षक (मैदानी)	प्रोन्नति का पद	(4500–7000) रू0 5200–20200 ग्रेड पे– 2800)	राजस्व निरीक्षक (मैदानी)	(5000–8000) 9300–34800 ग्रेड पे–4200	प्रोन्नति का पद
2.	लेखपाल	इण्टरमीडिएट	(3050–4590) रू0 5200–20200 ग्रेड पे– 1900)	राजस्व उप निरीक्षक, मैदानी (लेखपाल)	(4500–7000) 5200–20200 ग्रेड पे–2800	स्नातक

3– लेखपाल संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों एवं संवर्ग में नयी/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने वाले कार्मिकों की क्षमता वृद्धि के लिए पटवारी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा में 09 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

4— उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वर्तमान पदधारकों का वेतन निर्धारण दिनांक 01—01—2006 से किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों के विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन निर्धारण उनके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराते हुए उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा। वैयक्तिक वेतन आगामी वेतनवृद्धि में समायोजित कर दिया जायेगा। उक्तवत वेतनमान में वेतन के निर्धारण के फलस्वरूप यदि पदधारक का वेतन ग्रेड पे घटाकर संशोधित पे बैंड के अन्तर्गत आ रहा है तो उस पर नये पद के ग्रेड पे को जोड़ते हुए निर्धारण किया जायेगा और यदि वेतन पे बैंड की सीमा के अन्दर नहीं आ रहा हैं तो पुनरीक्षित वेतनबैंड के न्यूनतम पर ग्रेड पे जोड़ते हुए वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

5— उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित पदधारक को मूल नियम—23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा, अर्थात् वह इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती/वेतनवृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है। विकल्प देने की तिथि इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन होगी और इस अवधि के अन्तर्गत विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश निर्गमन की तिथि से विकल्प दिया गया है।

6— लेखपाल संवर्ग के पदधारकों के पदनाम, शैक्षिक अर्हता में परिवर्तन एवं वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप सेवा संवर्ग के नियमावली में व्यवस्था कर नियमावली संशोधन/प्रख्यापन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।

7— शासनादेश द्वारा वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के फलस्वरूप लेखपाल संवर्ग के पदधारकों को समय—समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य वित्तीय/अन्य लाभ अनुमन्य होंगे।

8— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—6 लेखाशीर्षक—2029—भू—राजस्व—00—आयोजनेत्तर—103—भू—अभिलेख—03—जिला अधिष्ठान—00 के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या—87/XXVII(7)/2014 दिनांक 4 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या: ७७(1)/18(1)/2014—03(07)/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7,/वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उपसचिव